

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर दहमीकलां, बगरू, जयपुर

क्रमांक : प.5(8)/HJU/GAD/स.क. एवं म.वि.मै./358

दिनांक : 11.05.2026

बोली आमंत्रण सूचना

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर की ओर से, पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता संस्था/एजेन्सी से मैनपावर सेवाएँ एक वर्ष (12 माह) के लिए (अनुमानित लागत राशि रूपये 21.50 लाख रूपये) उपलब्ध करवाने हेतु E Procurement के माध्यम से online खुली बोली आमंत्रित की जाती है। बोली से संबंधित विवरण/शर्तें वेबसाईट <https://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट <https://www.hju.ac.in> पर देखी जा सकती है तथा बोली प्रपत्र इन्हीं वेबसाईट से दिनांक 11.05.2026 से डाउनलोड किया जा सकता है। पूर्ण भरा बोली प्रपत्र मय दस्तावेज दिनांक 21.05.2026 को दोपहर 04:00 बजे तक E Procurement वेबसाईट <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

क्र.स.	कार्य का विवरण	अनुमानित मूल्य	बोली प्रतिभूति राशि (अनुमानित बोली मूल्य का 2%)	बोली प्रपत्र शुल्क (नॉन रिफंडेबल)	RISL Procesing शुल्क	प्रस्तावित खुली बोली		
						बिड दस्तावेज डाउनलोड करने की दिनांक व समय	शुल्क (डीडी) एवं मूल शपथ पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक व समय	तकनीकी बोली खोलने की दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	मैनपावर सेवाएं : 1.मशीन विद मैन (कम्प्यूटर मय आपरेटर) (उच्च कुशल)-06 2.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (अकुशल)-10	21.50 लाख रूपये	रु. 43000/- डी.डी/बैंकर्स चैक के माध्यम से	रु. 1180/- डी.डी /बैंकर्स चैक के माध्यम से	रु.590/- डी.डी /बैंकर्स चैक के माध्यम से	11.05.2026 दोपहर 04:00 बजे से	21.05.2026 को दोपहर 02:00 बजे तक	21.05.2026 को सांय 04:30 बजे

बिड प्रतिभूति राशि एवं बिड प्रपत्र शुल्क **रजिस्ट्रार हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर** के पक्ष में डी.डी/बैंकर्स चैक एवं RISL Procesing शुल्क, MD, RISL के नाम 590/- का डी.डी/ बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा कराए जाने हैं। अतः दिनांक 21.05.2026 दोपहर 02:00 बजे तक मूल सभी डी.डी/बैंकर्स चैक एवं मूल स्टाप पेपर विश्वविद्यालय में जमा करवाने होंगे अन्यथा बिड स्वीकार्य नहीं होगी।

कुलसचिव

क्रमांक :

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, कुलगुरु, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर।
2. राज्य स्तरीय समाचार पत्र एवं क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र.....
3. कार्यालय हाजा, नोटिस बोर्ड।
4. सूचना सहायक, एचजेयू, जयपुर को E-proc, SPPP व विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Signature Not Verified

Digitally signed by **कुलसचिव**
Date: 2026.05.11 17:14:07 IST
Location: Rajasthan-RJ



हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय

HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

प्लॉट संख्या 7, जेडीए सांस्थानिक योजना, ग्राम दहमीकलां, अजमेर रोड, जयपुर-303007 (राजस्थान)
Plot No. 7, JDA Institutional Scheme, Village Dahmi Kalan, Ajmer Road, Jaipur-303007 (Rajasthan)

निविदा-प्रपत्र

मशीनविद्मैन (कम्प्यूटर मय ऑपरेटर-उच्च कुशल) एवं
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (अकुशल) कार्य हेतु

PHONE NO: 0141-2957264/65

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

तकनीकी बोली प्रपत्र
(बोली इसी प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है)

क्र.स.	विवरण	संलग्न (हाँ/ना)	पृष्ठ संख्या
1.	बोलीदाता/फर्म/संस्था का नाम.....पता..... (मय टेलिफोन / मोबाइल न. ई मेल)		
2.	बोली प्रपत्र शुल्क डी.डी/बैंकर्स चैक संख्या..... व दिनांक रजिस्ट्रार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के पक्ष में (मूल विश्वविद्यालय में जमा करावें)।		
3.	बिड सिक्योरिटी डी.डी/बैंकर्स चैक संख्या..... व दिनांक..... रजिस्ट्रार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के पक्ष में (मूल विश्वविद्यालय में जमा करावें)।		
4.	RISL Procesing शुल्क डी.डी/बैंकर्स चैक MD, RISL के नाम 590/- डी.डी/बैंकर्स चैक (मूल विश्वविद्यालय में जमा करावें)।		
5.	बोलीदाता/फर्म का पेन नम्बर (स्वप्रमाणित प्रमाण संलग्न/अपलोड करें)		
6.	बोलीदाता/फर्म का जीएसटी नम्बर (स्वप्रमाणित प्रमाण संलग्न/ अपलोड करें)		
7.	जी.एस.टी. जमा कराये जाने का गत नवीनतम क्वार्टर का अद्यतन (स्वप्रमाणित प्रमाण संलग्न/अपलोड करें)		
8.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित कर संलग्न/ अपलोड करें।		

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

9.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित कर संलग्न/अपलोड करें।		
10.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र या वचन पत्र स्वप्रमाणित कर संलग्न/अपलोड करें।		
11.	माह फरवरी, 2026 या मार्च, 2026 या अप्रैल, 2026 में भविष्य निधि व ई.एस.आई में राशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित कर संलग्न/अपलोड करें।		
12.	हस्ताक्षरित (परिशिष्ट-1) तकनीकी बोली प्रपत्र अपलोड करें।		
13.	बोली की शर्त एवं विवरण तथा बोली की विशिष्ट शर्तों की सहमति स्वरूप उसे हस्ताक्षरित कर तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करें। हस्ताक्षरित (परिशिष्ट-2) संलग्न/अपलोड करें।		
14.	बोली स्वीकृति पत्र हस्ताक्षरित कर संलग्न/अपलोड करें। (परिशिष्ट-3)		
15.	बैंक विवरण, जिसके प्रमाण स्वरूप कैंसिल चैक भी लगायें। (परिशिष्ट-4) संलग्न/अपलोड करें।		
16.	संलग्न प्रारूप में गत 03 वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) का औसत टर्न ओवर न्यूनतम 21.50 लाख रु. से कम नहीं होना चाहिए (पंजीकृत सीए द्वारा प्रमाणित प्रति) (परिशिष्ट-5) संलग्न/अपलोड करें।		
17.	बोलीदाता को न्यूनतम 2 वर्षों का समान प्रकृति की मानव संसाधन सेवाएं उच्च शिक्षण संस्थानों/सरकारी कार्यालयों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/बोर्डों/निगमों में उपलब्ध कराने का संलग्न प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र मय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इनकी सतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-6) संलग्न/अपलोड करें।		
18.	बोलीदाता/फर्म/संस्था द्वारा 100/- रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बोलीदाता/फर्म/संस्था के किसी राजकीय विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में Black Listed/debarred/ banned/ restricted नहीं किये जाने का शपथ पत्र परिशिष्ट-7 अनुसार दिया जाना आवश्यक होगा। (दिनांक सहित नोटेराईज) (परिशिष्ट-7) संलग्न/अपलोड करें।		

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

19.	भविष्य निधि आयुक्त के 7A नोटिस में किसी भी विवाद में न होने का बोलीदाता/फर्म/ संस्था का शपथ पत्र (दिनांक सहित) (परिशिष्ट-8) संलग्न/अपलोड करें।		
20.	राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम-13 के अनुसार Annexure A,B,C,D & Declaration under section 7 of RTPP Act-12 (परिशिष्ट-9) संलग्न/अपलोड करें।		
21.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र या वचन पत्र (Under taking) निर्धारित प्रारूप में (परिशिष्ट-10) संलग्न/अपलोड करें।		
22.	बोलीदाता राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 की section 7 और 11 के तहत घोषणा (परिशिष्ट-11) संलग्न/अपलोड करें।		
23.	SSI/MSME/ उद्योग आधार पंजीयन, प्रमाण पत्र (प्रति संलग्न करें) (If Applicable) संलग्न/अपलोड करें।		
24.	ऑथोराइजेशन पत्र (If Applicable) संलग्न/अपलोड करें।		

तकनीकी बोली में सफल होने के लिए उपरोक्त सभी प्रविष्टियां मय प्रमाणक एवं बिड दस्तावेज में चाहे गये अन्य दस्तावेज होना आवश्यक है अन्यथा बोली निरस्त मानी जायेगी।

घोषणा

मैं पुत्र श्री
.सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त अंकित विवरण एवं संलग्न सभी विवरण सत्य है तथा मुझे बोली प्रपत्र की सभी शर्त स्वीकार है। इसके प्रमाण स्वरूप मेरे द्वारा बोली के समस्त पृष्ठों पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर/Digital Sigan कर दिये गये है।

नाम
(बोलीदाता)

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर दहमीकलां, बगरू, जयपुर

बोली की शर्तें एवं विवरण

बोलीदाता एवं संवेदक को ई-निविदा/बोली में अपनी दरें वैबसाइट <https://eproc.rajasthan.gov.in> पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करने से पूर्व इन शर्तों को बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। यह निविदा मानव संसाधन सेवाएं – मशीन विद मैन (कम्प्यूटर ओपरेटर, उच्चकुशल) एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक (अकुशल) आदि की सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु उपापन है। परन्तु प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मानव संसाधनों का उपापन नहीं किया जाएगा।

1. सेवाप्रदाता फर्म/एजेंसी के माध्यम से मानव संसाधन सेवाएं – मशीन विद मैन (कम्प्यूटर ओपरेटर, उच्चकुशल) एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक (अकुशल) आदि की सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु 01 वर्ष के लिये रजिस्टर्ड फर्मों/संस्थाओं से E Procurement के माध्यम से online खुली बोलीयां आमंत्रित की जाती है। जिसके दो भाग होंगे प्रथम भाग में तकनीकी बोली जिसमें कार्य अनुभव/टर्नओवर/रजिस्ट्रेशन लाईसेंस आदि का विवरण मय आवश्यक मूल दस्तावेज (परिशिष्ट –1) एवं द्वितीय भाग वित्तीय बोली हेतु ऑनलाइन BOQ sheet में दरों की बोली प्रस्तुत करनी होगी। (परिशिष्ट –12)
2. सभी दस्तावेज यथा तकनीकी निविदा, वित्तीय निविदा तथा इनसे संबंधित सभी दस्तावेज आदि E-proc साइट पर ऑनलाइन अपलोड करने आवश्यक है।
3. The bidders are requested to Submit their bids online on <https://eproc.rajasthan.gov.in> prior to last date of submission to avoid non submission of their bids up to prescribed date and time due to non availability/hanging of website, at either ends, at last moment or any reason what so ever. The last date of submission of bids will not be extended on Such account.
4. बोलीदाता एवं संवेदक को अपने डिजिटल हस्ताक्षरों (DSC) के माध्यम से वैबसाइट <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर फर्म/संस्था आदि को रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक होगा।
5. निर्धारित तिथि व समय पर वैबसाइट पर अपलोडेड तकनीकी प्रस्ताव ही खोले जाएंगे। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो उसके अगले कार्य दिवस को उसी समय तकनीकी निविदा खोली जाएगी।
6. तकनीकी बोली के परीक्षण में सफल फर्मों की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
7. बिड प्रतिभूति राशि एवं बिड प्रपत्र शुल्क रजिस्ट्रार हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के पक्ष में डी.डी/बैंकर्स चैक एवं RISL

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Processing शुल्क, MD, RISL के नाम 590/- का डी.डी./बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा कराए जाने हैं। जिनकी Scanned Copy, E-proc साइट पर ऑनलाइन अपलोड करनी आवश्यक है। तथा दिनांक 21.05.2026 दोपहर 02:00 बजे तक मूल सभी डी.डी./बैंकर्स चैक एवं मूल स्टाप पेपर विश्वविद्यालय में जमा करवाने होंगे अन्यथा बिड स्वीकार्य नहीं होगी।

8. बोली प्रपत्र एवं बोली की विस्तृत शर्तें निम्न वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। <https://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.rajasthan.gov.in> और विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://www.hju.ac.in>
9. बोली की अवधि कार्यादेश दिनांक से 01 वर्ष रहेगी। कार्य अवधि आपसी सहमति से आरटीपीपी नियमों अनुसार बढ़ाई जा सकेगी।
10. सभी डीडी व स्टाप पेपर तकनीकी बिड के साथ अपलोड करें तथा मूल सभी डी.डी./ बैंकर्स चैक एवं मूल स्टाप पेपर विश्वविद्यालय में अलग से प्रस्तुत करें अन्यथा बिड अस्वीकार कर दी जावेगी। वित्तीय बोली हेतु ऑनलाइन BOQ sheet में दरों की बोली प्रस्तुत करनी होगी।
11. तकनीकी बोली निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-1) पर ही स्वीकार्य होगी तथा तकनीकी बोली प्रपत्र में चाहे गये दस्तावेज/साक्ष्य/प्रमाण पत्र तकनीकी रूप से योग्य पाये जाने के लिए संलग्न/अपलोड किया जाना आवश्यक है। अन्यथा बिड अस्वीकार्य कर दी जाएगी।
12. बोली में पंजीकृत संस्थायें ही भाग ले सकती हैं। इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में बोली मान्य नहीं होगी।
13. बोलीदाता को न्यूनतम 2 वर्षों का समान प्रकृति की मानव संसाधन की सेवाएं उच्च शिक्षण संस्थानों/सरकारी कार्यालयों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं/बोर्डों/निगमों उपलब्ध कराने का संलग्न प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र मय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इनकी सतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-5) लगाना आवश्यक है।
14. गत 03 वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25, 2025-26) का औसत टर्न ओवर न्यूनतम 21.50 लाख रु. (पंजीकृत सीए द्वारा प्रमाणित प्रति) (परिशिष्ट-6) लगाना आवश्यक है।
15. बोलीदाता/फर्म/संस्था द्वारा 100/- रुपये के नान ज्यूडिशियल स्टाप पेपर पर बोलीदाता/फर्म/संस्था के किसी राजकीय विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में Black Listed/debarred/banned/restricted नहीं किये जाने का शपथ पत्र परिशिष्ट-7 अनुसार दिया जाना आवश्यक होगा। (दिनांक सहित नोटेराईज)
16. भविष्य निधि आयुक्त के 7A नोटिस में किसी भी विवाद में न होने का बोलीदाता/ फर्म/संस्था का शपथ पत्र (दिनांक सहित) परिशिष्ट-8 संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
17. बोली प्रक्रिया में राजस्थान राज्य की SSI/MSME संस्थाओं को नियमानुसार लाभ देय होगा। इसके लिए प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

18. बोली प्रपत्र में वर्णित सभी नियम एवं शर्तों की सहमति स्वरूप बोलीदाता को बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे तथा समस्त दस्तावेजों को स्व प्रमाणित कर ऑनलाईन अपलोड करना होगा। अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
19. सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूपों में ही उपलब्ध कराई जानी है अन्यथा बिड स्वीकार्य नहीं होगी।
20. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी तथा बोली की किसी भी शर्त को जोड़ने व हटाने का अधिकार बोलीदाता को नहीं होगा। आंशिक व अपूर्ण बिड स्वीकार्य नहीं होगी।
21. ऑनलाइन अपलोडेड निविदाओं को निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित बोलीदाता/संवेदक अथवा उसका प्रतिनिधि के समक्ष खोला जावेगा। निर्धारित समय में कोई बोलीदाता/संवेदक अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर विश्वविद्यालय की गठित समिति द्वारा बिना उनका इन्तजार किए निर्धारित समय पर निविदाओं को खोला जायेगा। यदि उक्त दिनांक को राजकीय अवकाश रहता है तो आगामी कार्य दिवस को निविदा/बोली उसी समय पर खोली जायेगी।
 - अ. सर्वप्रथम भरी हुई तकनीकी बिड खोली जायेगी।
 - ब. तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त बिडर की ही वित्तीय बिड पर विचार किया जायेगा। सिर्फ तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता/संवेदक ही आगे कार्यवाही में भाग लेने के योग्य होंगे।
22. तकनीकी बोली के परीक्षण में सफल फर्मों की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी। जिसकी पृथक से सूचना दी जाएगी।
23. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई तकनीकी बोली सही होने एवं वित्तीय बोली खोले जाने की सभी अर्हताएं पूरी करने पर ही प्रस्तुत वित्तीय बोली खोली जावेगी। वित्तीय बोली ऑनलाइन BOQ Sheet पर ही प्रस्तुत करें।
24. सभी योग्य बोलीदाताओं को वित्तीय बोली खोले जाने की तिथि पृथक से Online/SPPP/ E-Procurement Site पर सूचित की जावेगी। वित्तीय बोली सभी योग्य बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों, जो बोली के समय उपस्थित रहना चाहते हैं, के समक्ष खोली जावेंगी। योग्य बोलीदाता अथवा उनके द्वारा अधिकृत एक प्रतिनिधि को उपस्थित रहने की अनुमति दी जावेगी।
25. सभी इच्छुक बोलीदाता द्वारा अपनी वित्तीय बोली निर्धारित प्रोफोर्मा (ऑनलाइन BOQ Sheet पर ही प्रस्तुत करें।
26. बोलीदाताओं द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक दरें परिशिष्ट-12 में प्रस्तुत दर प्रस्ताव के अनुसार ऑनलाइन BOQ Sheet पर ही प्रस्तुत की जानी होगी।
27. बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर उसकी सेवाओं के प्रतिफलस्वरूप सर्विस चार्ज एवं मानव संसाधन की कुल लागत का उल्लेख अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा। भरी जाने वाली सभी राशि शून्य से अधिक रुपयों में अंकित करनी होगी (पैसों में नहीं) अन्यथा बोली अस्वीकार कर दी जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

28. बोली की न्यूनतम दर का निर्धारण वित्तीय निविदा में न्यूनतम कुल योग राशि (जी.एस.टी.रहित) पर किया जावेगा। यदि न्यूनतम राशि समान रहती है, तो अधिकतम अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि अनुभव भी समान रहता है, तो संलग्न टर्नओवर के अनुसार अधिकतम टर्नओवर वाली फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।
29. किसी भी एक अथवा सभी बोलीओं को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रजिस्ट्रार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा जिसके लिए किसी भी प्रकार का कारण/स्पष्टीकरण मांगने का हक बोलीदाता/अनुमोदित फर्म को नहीं होगा।
30. बोली दाताओं द्वारा प्रस्तावित की गई दरें रजिस्ट्रार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के पास विचार कर नियमानुसार स्वीकार करने के लिए बोली निविदा खुलने की तिथि से 90 दिवस तक मान्य होगी।
31. सफल बोलीदाता फर्म को रजिस्ट्रार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर कार्यालय में मशीन विद मैन (कम्प्यूटर ऑपरेटर) एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक, (अकुशल) आदि हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार पूर्णतः अस्थाई आधार एवं मानव संसाधन पर बोलीदाता स्वयं की जिम्मेदारी एवं पूर्ण नियंत्रण पर कामगार उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु रखने होंगे। कार्मिकों की संख्या हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर की वर्तमान आवश्यकताओं/कार्य को ध्यान में रखते हुए दर्शायी गई है। इस संख्या में समय-समय पर हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बढ़ोत्तरी/कमी की जा सकती है। वर्ष भर के दौरान कार्य की न्यूनतम राशि/मात्रा की कोई गारन्टी नहीं है।
32. अनुमोदित फर्म/ऐजेन्सी द्वारा बोली संबंधित कार्य किसी अन्य ऐजेन्सी को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
33. यदि कोई बोलीदाता/अनुमोदित फर्म बोली प्रपत्र में किसी तथ्य को छिपाता है और जो कि अनुबन्ध की अवधि के दौरान सामने आता है तो अनुबन्ध निरस्त कर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त कर ली जावेगी।
34. बोली के सम्बन्ध में राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान एवं उच्च शिक्षा विभाग एवं श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना, प्रपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश एवं तत्समय प्रचलित लागू नियम प्रभावी रहेंगे तथा संवेदक को इनकी पालना करनी होगी।
35. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
36. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

37. **भुगतान** : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
38. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
39. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
40. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
41. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
42. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
43. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

44. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
45. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिये रजिस्ट्रार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर उत्तरदायी नहीं होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए संवेदक/बोलीदाता स्वयं ही उत्तरदायी होगा।
46. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
47. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
48. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधनों की सेवाओं के उपापन के सम्बन्ध में जारी परिपत्र संख्या-1/2018, दिनांक 30.4.2018 के बिन्दु संख्या (V) पर वर्णित "राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोलियों में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी। "बोलीदाता (bidder) के द्वारा निविदा प्रस्तुत किये जाने के समय राजस्थान श्रमिक अनुबंधित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबंध नियम, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अद्यतन प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है, तो बोलीदाता द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार वचन-पत्र (Undertaking) प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

49. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।
50. कार्मिक की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। कार्मिक की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।
51. बोली में सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में कार्मिक स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में कार्मिक उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
52. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन कार्मिक, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जाएगी।
53. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाड़े (Sub-Let) पर नहीं देगा।
54. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जावेगी वह 04 दिवस में कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।
55. बोलियों का अपवर्जन:- अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
56. बोली प्रतिभूति राशि Demand Draft के माध्यम से जमा करायी जावेगी। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी। बोली प्रतिभूति को निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा:-
 - (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
 - (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
 - (ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

- (घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।
- (ड.) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
57. बोली के संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम- 2013 के समस्त प्रावधान लागू रहेंगे।
58. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security):-
- (अ) सफल बोलीदाता को अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने से पूर्व बोली कार्यादेश मूल्य की 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) (राजकीय नियमानुसार छूट प्राप्त फर्मों को नियमानुसार छूट देय होगी) बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारन्टी या एफ.डी.आर. के रूप में विश्वविद्यालय के पास निर्धारित अवधि पन्द्रह दिवस में जमा करानी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। Performance Security दर अनुमोदन की तिथि से न्यूनतम 18 माह तक वैध होनी चाहिये एवं राशि 500 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
- (ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा, में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।
- (स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
59. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit) :- कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :-
- (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
60. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages): परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर की जावेगी।
- (क) विहित सुपुर्दगी की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये-2.50%

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

- (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से कम अवधि के लिए – 5.00 प्रतिशत।
- (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई अवधि से कम अवधि के लिए— 7.50 प्रतिशत।
- (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए—10.00 प्रतिशत।
- (ड.) विलम्ब की अवधि में आधा दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।
- (च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
- (छ) यदि बोली दाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिये समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा केगठित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न की सेवा सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- (ज) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जायेगी।

61. अपील—

प्रथम अपील प्राधिकारी— रजिस्ट्रार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर

द्वितीय अपील प्राधिकारी— कुलगुरु, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर

62. बोली के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो डॉ. अश्विनी शर्मा, उप कुलसचिव, नोडल अधिकारी मो0 न0 9929004555 से सम्पर्क किया जा सकता है।
63. बोली को अपलोड करने/जमा कराने से पूर्व बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर/Digital sign आवश्यक है।
64. किसी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या निरस्त किये जाने हेतु रजिस्ट्रार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर का अधिकार सुरक्षित है।

कुलसचिव

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

बोली की विशिष्ट शर्तें :-

1. मशीन विद मैन के साथ स्थापित किये जाने वाले उपकरण बोली में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि कम्प्यूटर सिस्टम निम्नलिखित अनुमोदित Specification के अनुरूप है। जहाँ सिस्टम विहित Specification के स्तर में अनुरूप नहीं पाया जायेगा उसे अनुरूप कराया जायेगा।

कम्प्यूटर सिस्टम का विवरण

Computer System-Include the following Items with specification

- a. Computer – Intel Core i3/ Equivalent AMD based Computer or Higher speed, RAM 2/4 GB or higher Hard disk 250 GB or more, 15moinitor/TFT of bigger 10/100/1000 mbps LAN card CD/DVD writer standard keyboard Optical Mouse standard serial parallel &USB ports windows 7or higher antivirus, preinstalled MS office, adobe reader and other office Responsibility of Software license will be borne by the contractor.
 - b. Printer- black and white laser printer with speed 15ppm or more for specified need, Dot matrix/ inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.
 - c. UPS- online/offline UPS for above Computer and printer with 30 minute battery backup.
2. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फिटिंग की व्यवस्था वि.वि. द्वारा की जावेगी। विद्युत व्यय का भार वि.वि. वहन करेगा। बोलीदाता द्वारा उपलब्ध करवाए गये प्रिन्टर की स्याही एवं प्रिन्ट हेतु कागज विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।
 3. बोलीदाता को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद या पूर्व आवश्यकता अनुसार सेवायें जारी रखनी होंगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार बोलीदाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।
 4. किसी भी माह के चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/- रुपये की कटौती की जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

5. विशेष परिस्थितियों में यह विश्वविद्यालय इस चार दिन की अवधि को बढ़ा सकता है जिसके लिए फर्म द्वारा लिखित में कारण अंकित करने होंगे एवं यदि बढ़ी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह बोलीदाता को अन्यत्र स्वयं के खर्चे पर करवा कर देना होगा।
6. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। इसके लिये किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो बोलीदाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
7. यदि कम्प्यूटर सिस्टम इस विभाग की सन्तुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो बोलीदाता को दूरभाष/लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त किया जा सकेगा।
8. यदि उपकरण की चोरी या अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस विश्वविद्यालय की नहीं होगी। अतः यदि बोलीदाता चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
9. सेवाओं के लिये किसी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।
10. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर बिल सत्यापन उपरान्त बोलीदाता के खाते में किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हे प्रभावित किया जावेगा।
11. सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र जयपुर रहेगा।
12. प्रशिक्षित कार्मिक द्वारा कम्प्यूटर के डेटा को सुरक्षित रखेगा तथा कम्प्यूटर को बदलने या हटाने की स्थिति में उक्त डेटा को वि.वि. को संभलवायेगा तथा कम्प्यूटर सिस्टम में डिलीट किया जावेगा।
13. कार्मिक द्वारा डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा बनाये रखनी होगी। बिना अनुमति डेटा का प्रकटीकरण नहीं करेगा। डेटा से छेड़छाड़/रद्दोबदल/धोखाधड़ी करने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
14. कार्मिक कार्यालय में गरिमा बनाये रखेगा,सद्व्यवहार करेगा एवं धूम्रपान नहीं करेगा।
15. कार्मिक अवैध गतिविधि/अनैतिक कार्यों में संलिप्त नहीं रहेगा। उक्त कार्मिक का चाल-चलन एवं चरित्र अच्छा होना चाहिए।
16. निर्धारित समय से अतिरिक्त /कम कार्य की स्थिति में श्रम विभाग की अधिसूचना अनुसार भुगतान एवं अनुपस्थिति में नियमानुसार अनुपातिक राशि की कटौति की जायेगी।
17. कार्मिक द्वारा अपेक्षित जॉब/कार्य नहीं करने पर संवेदक/बोलीदाता द्वारा 4 दिवस में उसके स्थान पर अन्य कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

18. कार्मिक द्वारा कार्य स्थल पर धूम्रपान करने/अशिष्ट या दुर्व्यवहार करने/गंदगी फैलाने/नशाखोरी करने पर तत्काल प्रभाव से उसे हटा दिया जावेगा तथा अन्य कार्मिक को उनके स्थान पर लगाने की तत्काल व्यवस्था करेगा।
19. कार्मिक द्वारा कार्य छोड़ने/स्वैच्छिक अनुपस्थित रहने पर संवेदक/बोलीदाता द्वारा उनके स्थान पर अन्य कार्मिक लगाये जाने की तत्काल व्यवस्था करनी होगी।
19. कार्मिक द्वारा कार्य स्थल पर लैंगिक भेदभाव या उत्पीडन करने/अवैध गतिविधि या अनैतिक कार्य में संलिप्तता की शिकायत प्राप्त होने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
20. कार्मिक के चाल-चलन एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी।
21. बोली में वर्णित कामगारों के पेटे अनुमोदित फर्म/एजेन्सी/बोलीदाता को सर्विस चार्ज, बोली अनुसार तय न्यूनतम पारिश्रमिक तथा वर्तमान में प्रचलित जीएसटी (राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा परिवर्तित किये जाने पर आनुपातिक परिवर्तनीय) का भुगतान किया जायेगा। बोली अनुसार तय न्यूनतम पारिश्रमिक में नियोक्ता का भविष्य निधि अंशदान एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना अंशदान सफल बोलीदाता को रजिस्ट्रार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा प्रतिमाह पृथक से देय होगा जिसे सफल बोलीदाता द्वारा प्रतिमाह नियमानुसार जमा कराना होगा।
22. मानव संसाधन पर कामगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था पूर्णतया अस्थाई है और इसे किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।
23. अनुबन्धित अनुमोदित फर्म द्वारा पी.एफ. (नियोक्ता एवं नियोजित) के अंशदान, कर्मचारी राज्य बीमा योजना अंशदान (नियोक्ता एवं नियोजित), जीएसटी की राशि, इनकम टैक्स आदि जमा कराने की जिम्मेदारी स्वयं की होगी तथा वैधानिक दायित्वो की पूर्ति में किसी भी कारण देरी होने पर उस पर लगने वाली पेनल्टी/ब्याज आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुमोदित फर्म की होगी। अनुमोदित फर्म द्वारा रजिस्ट्रार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर से देय जीएसटी/भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना अंशदान जमा कराने के चालान/रसीद की प्रति आगामी माह के बिल के साथ रजिस्ट्रार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रस्तुत करनी होगी।
24. प्रत्येक मानव संसाधन कार्मिक को प्रत्येक कार्य दिवस में निर्धारित समय (प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक) प्राधिकृत अधिकारी/अनुभाग में अपनी उपस्थिति देनी होगी। मानव संसाधन कार्मिक को सामान्यतः रविवार का अवकाश देय होगा। यदि अन्य किसी राजपत्रित अवकाश को कार्यालय खुलता है तो कर्मियों को ड्यूटी पर बुलाये जाने पर कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
25. अनुमोदित फर्म और रजिस्ट्रार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के मध्य किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में रजिस्ट्रार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

26. रजिस्ट्रार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उक्त मानव संसाधन पर कर्मचारी रखने की व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है परन्तु अनुमोदित फर्म द्वारा इस बाबत कम से कम एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा।
27. अनुमोदित फर्म के किसी भी कामगार के द्वारा अनुबन्ध अवधि में अथवा उसके बाद यदि बकाया भुगतान के संबंध कोई वाद अथवा विवाद किसी स्तर पर श्रम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में चलाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुमोदित फर्म की होगी। समुचित उत्तर/पैरवी व उसके निपटारे का पूर्ण दायित्व नियोक्ता अनुमोदित फर्म का होगा।
28. मानव संसाधन पर कार्यरत कोई भी कामगार यदि किसी भी कारणवश किसी कार्यदिवस को कार्यालय में उपस्थिति देने में असमर्थ रहे तो अनुमोदित फर्म को उसके बिल में से आनुपातिक राशि काट कर भुगतान किया जावेगा।
29. सफल बोलीदाता एवं रजिस्ट्रार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के मध्य बोली प्रपत्र की शर्तों को सम्मिलित करते हुए दोनों पक्षों के मध्य 500/- रू. के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित किया जावेगा। अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमती से नियमानुसार बढ़ायी जा सकेगी। जिसके लिए Performance Security की वैधता भी तदनुसार बढ़ानी होगी।
30. अनुमोदित फर्म द्वारा नियोजित किसी भी कार्मिक को रजिस्ट्रार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर का कार्मिक नहीं माना जावेगा।

कुलसचिव

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

बोली स्वीकृति पत्र
(फर्म/एजेन्सी के लेटर हैड पर दिया जावे)

कुलसचिव,
हरिदेव जोशी पत्रकारिता,
जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर
दहमीकलां, बगरू, जयपुर

विषय :- बोली प्रपत्र की शर्तों एवं नियम पर सहमति बाबत।

NIB No. :

UBN No. :

कार्य का नाम : मानव संसाधन सेवाओं का उपापन।

महोदय

1. मैंने/हमने उपरोक्त कार्य हेतु बोली प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड कर लिया है अथवा कार्यालय से प्राप्त कर लिया है।
2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि बोली प्रपत्र में वर्णित सभी नियम एवं शर्तों, परिशिष्ट, नोटस आदि जो कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेन्ट का हिस्सा हैं, को पढ लिया है एवं अच्छी तरह से समझ लिया है और मैं/हम सभी वर्णित नियम एवं शर्तों का पालन करेंगे।
3. सहमति पत्र प्रस्तुत करते समय मैं/हम उक्त बोली के संबंध में समय-समय पर जारी संशोधन का ध्यान रखेंगे।
4. मैं/हम निविदा प्रपत्र एवं समय-समय पर जारी संशोधन सहित बोली प्रपत्र में वर्णित सभी नियम व शर्तों को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं।
5. यदि मेरे/हमारे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन करना पाया जाता है तो रजिस्ट्रार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये बोली प्रपत्र को निरस्त करने के साथ मेरे/हमारे द्वारा जमा करवायी गई बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
6. उपरोक्त की सहमति स्वरूप बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

जयपुर:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

All the Bidders are instructed to following information required by treasury for on-line payments. please write neatly and **enclose a cancelled cheque in support of the details.**

Format for Bank Details

Name of the Firm/Company	
Address	
Name of the Bank	
Branch address of the Bank	
IFSC Code of the Bank	
Bank Account Number	
PAN Number	
Name and Mobile No. of Authorized person	
E-mail Address	

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

टर्न ओवर का प्रारूप
Average Annual Turnover
(To be executed on CA Firm's Letter Head)

फर्म का नाम एवं पता :

.....

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर रु. (लाखों में)
1	2023-24	
2	2024-25	
3	2025-26	
कुल टर्न ओवर		

गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्नओवर रु.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि फर्म के Book of Records के अनुसार निम्नलिखित स्टेटमेंट सत्य एवं सही है।

Chartered Accountant (Name and Address)

.....

Registration No. of CA.....

UDIN

Mobile No.

(पंजीकृत सी.ए द्वारा प्रमाणित)

हस्ताक्षर सीए मय मोहर

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप

मैं, बोलीदाता

यह सत्यापित (घोषणा) करता हूँ कि समान प्रकृति के मानव संसाधन की सेवाएं प्रदान करने का मेरा/मेरी फर्म का अनुभव संबंधी निम्नलिखित जानकारी सत्य व सही है।

पिछले वित्तीय वर्षों में उच्च शिक्षण संस्थानों/सरकारी कार्यालयों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/बोर्डों/निगमों में पूर्ण किए गये कार्यों का विवरण :-

क्र. स.	कार्यादेश न. एवं दिनांक	संस्थान का नाम व पता	कुल व्यक्ति	कार्य प्रारम्भ दिनांक	कार्यपूर्णता दिनांक	संतोषजनक रूप से दी गई सेवाओं का कुल अनुभव	अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक (संलग्न करें)

कुल अनुभव (वर्ष/महिनों/दिनों में).....

नोट : बोलीदाता को न्यूनतम 02 वर्षों का समान प्रकृति की मानव संसाधन सेवाएं संतोषजनक रूप से उपलब्ध कराने का अनुभव होना आवश्यक है।
(सभी प्रविशिष्टियां स्पष्ट शब्दों में भरा जाना आवश्यक है।)

हस्ताक्षर बोली दाता

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

“शपथ – पत्र

(100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर दिनांक सहित नोटेराईज)

1. मैं, बोलीदाता.....
.....
.....यह सत्यापित (घोषणा) करता हूं कि राज्य के किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय द्वारा हमें गत 03 वर्षों में Black Listed/ debarred/ banned/restricted नहीं किया गया है।
2. मैंने/हमने बोली की समस्त शर्तें पढ़कर समझ ली हैं तथा मैं/हम इन समस्त शर्तों का पालन करने के लिये पूर्णतः सहमत हूं यदि बोली अवधि में किसी भी शर्त का उल्लंघन मेरे/हमारे द्वारा किया जाता है, तो मेरी/हमारी बोली निरस्त कर दी जावे।
3. मेरे/हमारे द्वारा निविदा हेतु प्रस्तुत सूचना/संलग्न दस्तावेज सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय सील

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

“शपथ – पत्र

मैं, बोलीदाता

.....
.यह सत्यापित (घोषणा) करता हूं कि हमारी संस्था/फर्म के विरुद्ध भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का बकाया/विवाद के लिए 7A नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि उक्त सूचना सही नहीं पाई जाती है तो हमारी बोली निरस्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का पूर्ण अधिकार रजिस्ट्रार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर को होगा।

हस्ताक्षर बोली दाता मय सील

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Annex. A

**Compliance of Code of Integrity and No Conflict of Interest
(To be signed and submitted along with the first part bid)**

Any person participating in a procurement process shall:-

- (a) Not offer any bribe, reward of gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
- (b) Not misrepresent or omit or mislead or attempt to mislead so as to obtain a financial or other benefit of avoid an obligation.
- (c) Not indulge in any collusion, bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and process of the procurement process.
- (d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidder with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or its property to influence the procurement process.
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any pervious transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decision of the procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the all same subcontractor, not otherwise participation as Bidder, in more than one Bid; or
 - f. the Bidder or any of its affiliates participated as consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

**Declaration by the Bidder Regarding Qualification
(To be submitted along with the first part bid)**

In relation to my/our Bid submitted to Secretary, Hardevi Joshi Journalism and Mass Communication, Jaipur for manpower services on jobwork basis in response to their notice Inviting Bid No.....Dated..... I/we hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:-

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required in the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, nor have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, nor have my/our business activities suspended and have not been the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we and our directors or officers have not been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or making false statement or misrepresentations as to my/our qualification in order to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process. Also, I/we have not been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date:
Place:

**Signature of bidder
(With Office Seal)**

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Registrar, Haridev Joshi Journalism and Mass Communication, Rajasthan, Jaipur (as the case may be).

The designation and address of the second appellate authority is Vice - Chancellor, Haridev Joshi Journalism and Mass Communication, Rajasthan, Jaipur

Filing an appeal:-

- (1) If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the act or the rules or the guidelines issued there under, he may file an appeal to first appellate authority, as specified in the bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings :

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the Order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.
- (4) Appeal not to lie in certain case- No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely :-

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

- (a) determination of need of procurement;
 - (b) provisions limiting participation of bidders in the bid process;
 - (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
 - (d) cancellation of a procurement process;
 - (e) applicability of the provisions of confidentiality.
- (5) Form of Appeal
- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
 - (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
 - (c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or by authorized representative.
- (6) Fee for filing Appeal
- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
 - (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.
- (7) Procedure for disposal of appeal
- (a) The first appellate authority or second appellate authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
 - (b) on the date fixed hearing, the first appellate authority or second appellate authority, as the case may be shall, -
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter.
 - (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
 - (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

**Additional Conditions of Contract
(To be signed and submitted along with the first part bid)**

1. Correction of arithmetical errors

provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial bids on the following basis:

- a. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected.
- b. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- c. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

if the bidder that submitted the lowest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's right to vary quantities

- i. At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the bidding document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent of the quantity specified in the bidding document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the bid and the conditions of the bid and the conditions of contract.
- ii. If the procuring entity does not procure and subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding document due to change in circumstances, the bidder shall

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.

iii. In case of procurement of goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and condition of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing Quantities among more than one bidder at the time of award (in case of procurement of goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurements shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter or procurement to be procured is of critical and vital natures, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates if the bidder, whose bid is accepted.

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Form No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of
Before the (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of Appellant :
 2. Name of the Appellant :
 3. Official address, if any :
 1. Name and address of the respondent (s):
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
 3. Number and date of the order appealed against and designation of the Officer/authority who passed the order (enclosed copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :
 4. If the Appellant propose to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :
 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
 6. Grounds of Appeal :

.....
.....

(Supported by an affidavit)
 7. Prayer :
- Place
- Date

Appellant's Signature

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधनों की सेवाओं के उपापन के सम्बन्ध में जारी परिपत्र संख्या-1/2018, दिनांक 30.4.2018 के बिन्दु संख्या (V) पर वर्णित "राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोलियों में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

"बोलीदाता (Bidder) के द्वारा निविदा प्रस्तुत किये जाने के समय राजस्थान श्रमिक अनुबन्धित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबन्ध नियम, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अद्यतन प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है, तो बोलीदाता द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार वचन-पत्र (Undertaking) प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है।

तदनुसार बोलीदाता को यह शपथ-पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

शपथ-पत्र

मैं, बोलीदातायह सत्यापित (घोषणा करता हूँ कि) निविदा अवधि के दौरान यदि मेरे द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबन्धित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबन्ध नियम, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हो तो तदनुसार पंजीकरण कराते हुए प्रमाण-पत्र की प्रति संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी।"

हस्ताक्षर बोलीदाता मय सील

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

**राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 की
धारा 7 और 11 के तहत घोषणा**

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (उपापन संस्था) हेतु मैनपावर की सेवाओं के लिए बोली आमंत्रण सूचना संख्यादिनांक..... के बाबत मेरी/हमारी बोली के संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 की धारा 7 और 11 के तहत घोषणा करता हूँ/करते हैं कि :-

बोलीदाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम उपापन ईकाई द्वारा जारी बोली दस्तावेज में वांछित आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रबन्धकीय स्रोत और अपेक्षित सक्षमता धारित करता हूँ/करते है।

1. मैं/हम हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (उपापन संस्था) की बोली आमंत्रण सूचना संख्यादिनांक.....के जवाब में प्रस्तुत मेरी/हमारी बोली के संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 की धारा 7 और 11 के तहत घोषणा करता हूँ/करते हैं कि:-

क. मैं/हम आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रबन्धकीय स्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये बोली दस्तावेजों, पूर्व-अर्हता दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों, द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करता हूँ/करते है।

ख. मैं/हम, ऐसे करों को संदत करने की, जो बोली दस्तावेजों, पूर्व-अर्हता दस्तावेजों या, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय हैं, अपनी बाध्यता/दायित्व की पूर्ति करूंगा/करेंगे।

ग. मैं/हम दिवालिया नहीं हूँ/है, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं हूँ/हैं या परिसमापन नहीं कर रहा हूँ/रहे हैं, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप हैं, ना कारोबार के क्रियाकलाप निलंबित रहे हैं और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यक्षीन रहे हैं।

घ. मैं/हम, अपने/हमारे वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

अर्हताओं के बारे में मिथ्याकथन करने या दुर्व्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं और न उसके निदेशक और अधिकारी दोषसिद्ध हुए हैं, या न ही अन्यथा विवादास्पद कार्यवाही के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

डं. मैं/हम, ऐसे हित, जो पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जायें, के प्रति कोई विरोध नहीं रखूंगा/रखेंगे, जो उचित प्रतियोगिता को तात्त्विक रूप में प्रभावित करें,

च. कोई भी अन्य अर्हताएं, जो विहित की जायें, पूर्ण करेंगे/करूंगा।

2. वित्त विभाग के आदेश एफ.1(8) वित्त/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 04.02.2013 एवं वित्त विभाग के आदेश..... के अनुसार मैंने/हमने अनुबन्ध के तहत हमारे सभी दायित्वों को पूरा करने तक आरटीपीपी अधिनियम, आरटीपीपी नियमों और बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट सत्यनिष्ठा संहिता का अनुपालन करना जारी रखा है और जारी रखेंगे।
3. मैं/हम सहमत है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवारण प्रक्रिया आरटीपीपी अधिनियम-2012 और नियम 2013 और वित्त विभाग के आदेश एफ.1(8)वित्त/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 04.02.2013 के अनुसार होगी।
4. हम सहमत है कि अनुबन्ध की अतिरिक्त शर्त वित्त विभाग के आदेश एफ.1(8)वित्त/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 04.02.2013 और एफ.1. वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 के अनुसार होगी।

दिनांक

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम :

पद :

पता :

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

ऑनलाइन BOQ Sheet में प्रस्तुत करें**यह प्रारूप मात्र संदर्भ के लिए है।**

फर्म का नाम एवं पता

(राशि रूपये में)

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति एवं श्रमिक की श्रेणी	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रति व्यक्ति प्रति माह	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि रू प्रति व्यक्ति प्रति माह	EPF दर प्रतिशत 13 %	ESI दर प्रतिशत 3.25 %	कम्प्यूटर का किराया प्रति ईकाई प्रतिमाह (राशि रू)	कुल राशि प्रति व्यक्ति प्रतिमाह मय ईकाई कम्प्यूटर (4+5+8)	कुल राशि 3X9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (अकुशल)	10	7410	ऑनलाइन BOQ Sheet में भरें।	13 %	3.25 %	NA	ऑनलाइन BOQ Sheet में स्वतः आएगा।	ऑनलाइन BOQ Sheet में स्वतः आएगा।
2	मशीन विदमैन (कम्प्यूटर मय आपरेटर) (उच्च कुशल)	06	9334	ऑनलाइन BOQ Sheet में भरें।	13 %	3.25 %	ऑनलाइन BOQ Sheet में भरें।	ऑनलाइन BOQ Sheet में स्वतः आएगा।	ऑनलाइन BOQ Sheet में स्वतः आएगा।
कुल योग					ऑनलाइन BOQ Sheet में स्वतः आएगा।				
कुल योग शब्दों में					ऑनलाइन BOQ Sheet में स्वतः आएगा।				

1. The lowest bidder (L-1) shall be decided on the basis of sum of the column number 10 the total cost of per month.(कुल योग कम संख्या 01 व 02 के योग के आधार पर)
2. भरी जाने वाली सभी राशि शून्य से अधिक रुपयों में अंकित करनी होगी (पैसों में नहीं) अन्यथा बोली अस्वीकार कर दी जावेगी। शून्य व दशमलव दरों पर विचार नहीं किया जाएगा, राशि पूर्ण रुप से रुपयों में अंकित करें।
3. प्रस्तावित दरें प्रतिशत में अंकित नहीं कर राशि में अंकित करें।
4. जीएसटी की दरें नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी। (If Applicable)
5. श्रमिकों को देय पारिश्रमिक राशि जो की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी।
6. भरे जाने वाला कोई भी कॉलम खाली ना छोड़ें अन्यथा बिड अस्वीकार कर दी जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर